

सेवा में,

प्रिया चौधरी पुत्री सोमपाल सिंह

अनुक्रमांक- 201700307

निवासी- पी-24 टाईप-2, पुलिस लाइन गेट नं0-6 मेरठ थाना- सिविल लाइन

जनपद- मेरठ

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक, मेरठ
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पाँच-111(30नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

अर्चना पुत्री श्री लोकेन्द्र सिंह

अनुक्रमांक- 301701620

निवासी- ग्राम- कांजरहेडी पो0- भाजू विकासखण्ड+तहसील+थाना- शामली

जनपद- शामली-251319

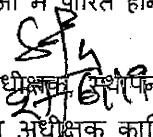
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।


पुलिस उपाधीक्षक, शामली
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

एकता चौधरी पुत्री सत्यवीर सिंह

अनुक्रमांक- 243756201

निवासी- ग्राम व पोस्ट- इस्माइलपुर थाना- सिकन्दराबाद

जनपद- बुलन्दशहर - 203205

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक, प्रशिक्षण
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

कु0 लीना कुशवाहा पुत्री रामप्रकाश कुशवाहा
अनुक्रमांक- 130737354
निवासी- 124/4 डबल स्टोरी गोविन्दपुरी, मोदीनगर
जनपद- गाजियाबाद

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक (संस्थापना)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

प्रियंका पुत्री मांगेराम

अनुक्रमांक- 149768049

निवासी- ग्राम- टोडी नगर, पोस्ट- निहालगढ़, थाना-बाढडा

जनपद- चरखी दादरी हरियाणा- 127310

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखा में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, उन्नाव परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अथेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका निलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमत प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अथेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पॉच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

सोनी रावत पुत्री भगवती प्रसाद
अनुक्रमांक- 243756201
निवासी- मोहारी बाग सिविल लाइन थाना- कोतवासी नगर
जनपद- उन्नाव- 209801

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आवगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / ₹ 4000 मेसे एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ छपडपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

SR

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

दीपांजली वर्मा पुत्री सिद्धार्थ नाथ

अनुक्रमांक- 343756915

निवासी- ग्राम- कठार पोस्ट- रैथाना, थाना- बीघापुर

जनपद- उन्नाव- 209865

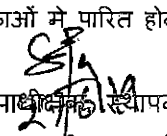
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।


पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

सुप्रिया गुप्ता पुत्री रमेश चन्द्र गुप्ता

अनुक्रमांक- 143754808

निवासी- 1/805 अम्बिका पुरम शुक्ला गंज, थाना- कोतवाली गंगाघाट

जनपद- उन्नाव - 209861

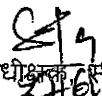
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।


पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

पल्लवी तिवारी पुत्री ब्रजेश तिवारी

अनुक्रमांक- 149759966

निवासी- ग्राम व पोस्ट- प्रतापपुर थाना- खैरगढ़ तहसील- शिकोहाबाद

जनपद- फिरोजाबाद- 283135

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक, प्रशिक्षण
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

भावना चौधरी पुत्री गजेन्द्र सिंह

अनुक्रमांक- 349767624

निवासी- बी-12 न्यू सिविल लाइन सराय होटल के पास थाना- मथुरा गेट

जनपद- भरतपुर (राजस्थान)- 321001

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/सहायक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

मालविका राना पुत्री श्री रमेश चन्द्र राना

अनुक्रमांक- 301705123

निवासी- 48 पश्चिम पुरी शास्त्री पुरम रोड थाना- सिकन्दरा

जनपद- आगरा- 282007

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/अधीक्षक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

पुनीत मलिक पुत्र ब्रिजेश मलिक

अनुक्रमांक- 149431982

निवासी- ग्राम -काबड़ौत पोस्ट- काबड़ौत थाना- कोतवाली

जनपद- शामली - 247776

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक, शामली
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

सौरभ मलिक पुत्र श्री विजेन्द्र मलिक

अनुक्रमांक- 149427854

निवासी- ग्राम- भिकका माजरा तहसील- शामली थाना- बाबरी

जनपद- शामली - 251319

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टैंडपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक, सीतापुर
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

आलोक कुमार पुत्र श्री दुष्यंत सिंह

अनुक्रमांक- 329200706

निवासी- ग्राम- धनियावली विकासखण्ड+थाना- स्याना

जनपद- बुलन्दशहर- 203403

विषय- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक (संरक्षण)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

दीपक कुमार पुत्र ओमवीर सिंह

अनुक्रमांक- 330220064

निवासी- ग्राम- दस्तोई पोस्ट- सरावा थाना- कोतवाली नगर तहसील- हापुड़

जनपद- हापुड़- 245101

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर दकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक, सीतापुर
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, हापुड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

सन्नी खैवाल पुत्र देवेन्द्र खैवाल

अनुक्रमांक- 349429755

निवासी- ग्राम-लपराना मजरा टपराना पोस्ट- झिझाना थाना- झिझाना

जनपद- शामली - 247773

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक (संस्थापना)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

आशीष मलिक पुत्र इन्द्रपाल

अनुक्रमांक- 349428255

निवासी- ग्राम व पोस्ट- लाक म0नं0- 1231 पट्टी मोघा तहसील- शामली थाना- कोतवाली

जनपद- शामली - 247776

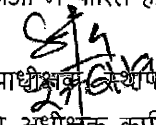
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।


पुलिस उपाधीक्षक (नियंत्रण)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

अवधेश कुमार पुत्र रूपचन्द्र

अनुक्रमांक- 330218164

निवासी- ग्राम- सिकन्दरपुर पोस्ट- सालारपुर थाना- बहादुरगढ़

जनपद- हापड़ - 245205

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/सहायक नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, हापड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में

विपिन कुमार पुत्र श्री जीत सिंह

अनुक्रमांक- 230219901

निवासी- ग्राम- लोधीपुर सौवन तहसील व थाना- गढ़मुक्तेश्वर

जनपद- हापड़-245205

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक (सत्यापन)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, हापड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

नवीन कुमार पुत्र अतर सिंह

अनुक्रमांक- 343354528

निवासी- ग्राम- कौट तहसील- भिवानी थाना- सदर भिवानी

जनपद- भिवानी(हरियाणा)- 127021

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक, सीतापुर
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

मयंक चौधरी पुत्र आत्मपाल

अनुक्रमांक- 301055392

निवासी- म0नं0- 103/85 प्रेमपुरी शामली रोड थाना- कोतवाली

जनपद- मुजफ्फरनगर-251001

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/प्रशिक्षण
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

विश्वास शर्मा पुत्र जितेन्द्र शर्मा

अनुक्रमांक- 349425164

निवासी- ग्राम- मालेण्डी विकास खण्ड- ऊन थाना- गढी पुख्ता तहसील- शामली

जनपद- शामली - 247776

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

संदीप पुत्र टेमपाल

अनुक्रमांक- 130212015

निवासी- ग्राम व पोस्ट- जवाँ, तहसील-खुर्जा थाना- जहागीरपुर

जनपद- बुलन्दशहर- 203141

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक/हथौड़ा
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

अमित कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र पाल

अनुक्रमांक- 201022303

निवासी- इन्द्रापुरी गली नं0- 2 मोदीनगर थाना- मोदीनगर

जनपद- गाजियाबाद- 201204

विषय- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक/सहायक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पाँच-111(30नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

अरविन्द कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार

अनुक्रमांक- 229198597

निवासी- ग्राम व पोस्ट- भीकमपुर थाना- अहमदगढ़ तहसील- शिकारपुर

जनपद- बुलन्दशहर- 203392

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 01.07.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक/अधीक्षक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

सचिन कुमार पुत्र अशोक कुमार

अनुक्रमांक- 229193799

निवासी- ग्राम व पोस्ट- बीहटा, तहसील- स्याना थाना- स्याना

जनपद- बुलन्दशहर- 245402

विषय- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक (आचार्य)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

प्रदीप कुमार पुत्र नरवीर सिंह

अनुक्रमांक- 129193296

निवासी- ग्राम व पोस्ट- सैदपुर, थाना- बी0बी0 नगर

जनपद- बुलन्दशहर- 203411

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर दंकि करारकर तथा नोटरी से सत्यापित करारकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक, सीतापुर
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत करारकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

सुमित कुमार पुत्र सोराज सिंह
अनुक्रमांक- 330228770
निवासी- ग्राम- तजपुरा पोस्ट- बहसुमा मवाना
जनपद- मेरठ- 250404

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

रोबिन सिंह पुत्र जयवीर सिंह

अनुक्रमांक- 230238662

निवासी- कस्बा- करनावल, तहसील- सरधना थाना- सरूरपुर खुर्द

जनपद- मेरठ-250344

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/सहायक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

मनीष कुमार पुत्र धर्म गिरि

अनुक्रमांक- 230227629

निवासी- म0नं0 223/12 ई न्यू सैनिक विहार फाजलपुर, थाना- कंकरखेड़ा

जनपद- मेरठ- 250002

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक, सीतापुर
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

अंकित पुत्र जयपाल सिंह

अनुक्रमांक- 229201623

निवासी- ग्राम- दादपुर नीला पोस्ट- गाजीपुर थाना- सिकन्दराबाद

जनपद- बुलन्दशहर - 203205

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर दकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थाना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

गर्वित कुमार पुत्र ब्रजेश कुमार त्यागी

अनुक्रमांक- 330225371

निवासी- म0नं0- 32 बैनीपुर पोस्ट- बैनीपुर थाना- बी0बी0 नगर तहसील- स्याना

जनपद- बुलन्दशहर- 203402

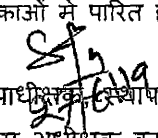
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।


पुलिस उपाधीक्षक/सहायक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- बरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

विशेष कुमार सिंह राजौरा पुत्र मौमराज सिंह राजौरा

अनुक्रमांक- 129197827

निवासी- ग्राम व पोस्ट- खन्दोई थाना- नरसैना तहसील- स्याना

जनपद- बुलन्दशहर-203398

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक (संस्थापना)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

अंकुर सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह

अनुक्रमांक- 1292024465

निवासी- ग्राम व पोस्ट- माजरा निमचाना थाना- अगौता

जनपद- बुलन्दशहर-245407

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक संस्थान
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

पत्र संख्या:- पाँच-111(30नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

विवेक पुत्र सतवीर

अनुक्रमांक- 129202655

निवासी- ग्राम- भंडौली पोस्ट- गुठावली (कला) थाना- अगौता

जनपद- बुलन्दशहर-203001

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर दक्षित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/55/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक, सीतापुर
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

विवेक कुमार पुत्र विजय सिंह

अनुक्रमांक- 229195603

निवासी- ग्राम- आलमगिरपुर धनौरा पोस्ट- सहकारी नगर थाना- कोतवाली देहात

जनपद- बुलन्दशहर-203150

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक, सीतापुर
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

चेतन कुमार पुत्र श्री मानिक चन्द्र

अनुक्रमांक- 229195569

निवासी- ग्राम व पोस्ट- दौलतपुर खुर्द थाना व तहसील- डिबाई

जनपद- बुलन्दशहर- 202392

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

अंकुर मलिक पुत्र श्री शशीभान मलिक

अनुक्रमांक- 355493685

निवासी- ग्राम- चान्दनहेडी पोस्ट व थाना- छपरौली तहसील- बड़ौत

जनपद- बागपत- 250617

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

रोहित तोमर पुत्र वीरपाल सिंह
अनुक्रमांक- 155494950
निवासी- ग्राम- बिजरौल तहसील- बड़ौत थाना- बड़ौत
जनपद- बागपत- 250611

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री नेमपाल सिंह

अनुक्रमांक- 330223525

निवासी- पीर वाली गली नं0-5 कृष्णा नगर रोशनपुर डौरली थाना- पल्लवपुरम

जनपद- मेरठ- 250001

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक (सीपी)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पाँच-111(उनि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

अभिषेक चौधरी पुत्र कृष्णपाल सिंह

अनुक्रमांक- 301030707

निवासी- म0नं0- 393 ग्राम व पोस्ट- रईसपुर थाना- कविनगर

जनपद- गाजियाबाद- 201002

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

विकास कुमार त्यागी पुत्र उमेश चन्द्र त्यागी

अनुक्रमांक- 101021789

निवासी- एल-168 सेक्टर-23 संजय नगर थाना- कविनगर

जनपद- गाजियाबाद- 201002

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक, सीतापुर
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

जोनी पुत्र श्री सत्यपाल त्यागी

अनुक्रमांक- 101029617

निवासी- म0नं0- 313 विकास नगर कालोनी थाना- लोनी

जनपद- गाजियाबाद- 201102

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक (प्रशिक्षण)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

रोहित तोमर पुत्र बिजेन्द्र सिंह

अनुक्रमांक- 201023168

निवासी- ग्राम व पोस्ट- अतरौली थाना- भोजपुर

जनपद- गाजियाबाद - 245304

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/अधीक्षक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

कुलदीप पुत्र श्री गुलाब

अनुक्रमांक- 201025228

निवासी- ग्राम- जाफराबाद गनौली व पोस्ट-चिरौड़ी थाना- लोनी

जनपद- गाजियाबाद- 201102

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक, सीतापुर
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पाँच-111(30नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

प्रवीण शर्मा पुत्र श्री शिव प्रसाद शर्मा

अनुक्रमांक- 201024287

निवासी- आर सी0-92 आदर्श नगर खोड़ा कालोनी थाना- खोड़ा

जनपद- गाजियाबाद- 201309

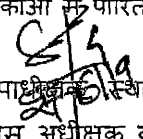
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक **01.07.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक **30.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।


पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **01.07.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पाँच-111(30नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

अकित चौधरी पुत्र मुकेश चौधरी

अनुक्रमांक- 201023654

निवासी- काईट कालेज के सामने, फ्रेन्ड्स कालोनी गली नं0-2 मुरादनगर, थाना-मुरादनगर

जनपद- गाजियाबाद -201206

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / ₹ 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः ₹ 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

(Signature)

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अधिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

कपिल कुमार पुत्र रामवीर

अनुक्रमांक- 329197535

निवासी- दौलतगढ़ पोस्ट- मिर्जापुर, थाना- कोतवाली देहात

जनपद- बुलन्दशहर- 203001

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक संस्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

विवेक कुमार पुत्र ओमवीर सिंह

अनुक्रमांक- 329134244

निवासी- ग्राम- कोन्दू पोस्ट- बनचावली तहसील- सिकन्दराबाद थाना- कोतवाली देहात

जनपद- बुलन्दशहर- 203203

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में स्मरित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक, सीतापुर
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

प्रदीप कुमार पुत्र भजन लाल सिंह

अनुक्रमांक- 229199942

निवासी- ग्राम- नाहरी, पोस्ट+ थाना- डिवाई

जनपद- बुलन्दशहर- 203393

विषय- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/ उपनिरीक्षक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

नितिन शर्मा पुत्र शिवकुमार शर्मा

अनुक्रमांक- 101026666

निवासी- म0नं0- सी-89 पूर्वी जवाहर नगर लोनी रोड, थाना- लोनी बार्डर

जनपद- गाजियाबाद - 201102

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक, सीतापुर
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

मनीष कुमार पुत्र श्री विक्रम सिंह

अनुक्रमांक- 201026950

निवासी- म0नं0- 207 पाल रोड अर्थला, मोहन नगर, थाना- साहिबाबाद

जनपद- गाजियाबाद- 201007

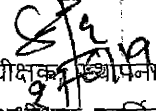
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।


पुलिस उपाधीक्षक (प्रशिक्षण)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

बैराज खान सैफी पुत्र रहीसुद्दीन खान

अनुक्रमांक- 101025618

निवासी- ग्राम- ननका गढी रसूलपुर सिकरोडा, पोस्ट- हिण्डन नगर डसना थाना- मसूरी

जनपद- गाजियाबाद- 201015

विषय- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।


पुलिस उपाधीक्षक, लखनऊ
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

प्रशान्त शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा

अनुक्रमांक- 230224127

निवासी- ग्राम व पोस्ट- रासना, ब्लॉक- रोहटा थाना- सरूरपुर

जनपद- मेरठ- 250502

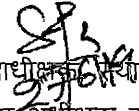
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।


पुलिस उपाधीक्षक/सहायक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

विनीत कुमार पुत्र श्री लीलू सिंह

अनुक्रमांक- 330225371

निवासी- ग्राम व पोस्ट- स्याल किला परिक्षितगढ़ रोड थाना- भावनपुर

जनपद- मेरठ- 250406

विषय- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक, प्रशिक्षण
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

रिंकू चौधरी पुत्र विजेन्द्र चौधरी

अनुक्रमांक- 330237966

निवासी- अंजौली, पोस्ट- कलंजरी थाना- परतापुर तहसील- मेरठ

जनपद- मेरठ- 250501

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक/सहायक नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

कमलदीप पुत्र डबल सिंह

अनुक्रमांक- 330225371

निवासी- मदन मोहन विद्या मंदिर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैम्पस

जनपद- मेरठ- 250004

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

राहुल चौधरी पुत्र रामभूल चौधरी

अनुक्रमांक- 101028970

निवासी- म0नं0- 244-ए गली नं0-8 बुद्ध विहार थाना- विजयनगर

जनपद- गाजियाबाद- 201001

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/ नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

विनीत कुमार पुत्र चरन सिंह

अनुक्रमांक- 330211726

निवासी- ग्राम- हृदयपुर पोस्ट- सिकन्दराबाद थाना- सिकन्दराबाद

जनपद- बुलन्दशहर - 203205

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं से पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक, सीतापुर
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या: पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0म0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

सौरभ द्विवेदी पुत्र श्री रमेश कुमार

अनुक्रमांक-149436323

पता-म0नं0 08 ग्राम रतौली पोस्ट सोनसरी थाना लीरपुर

जिला- सीतापुर-261136

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 01-07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज ।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

दिनेश कुमार पुत्र शिवपाल

अनुक्रमांक-243365299

पता-ग्राम-ठकुरी खेड़ा पोस्ट कोरारीकला थाना अचलगंज

जिला- उन्नाव-209801

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक संस्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 01-07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0म0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

विजय कुमार यादव पुत्र शिव नारायण यादव

अनुक्रमांक-243365561

पता-ग्राम-132 किशोरी खेडा सिविल लाइन थाना- कोतवाली नगर

जिला- उन्नाव-209801

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक संस्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 01-07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

गौरव श्रीवास्तव पुत्र सन्तोष कुमार

अनुक्रमांक-249448799

पता-ग्राम-मो0 कस्टोलवा,कस्बा व थाना व तहसील पुरवा

जिला- उन्नाव-209825

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 01-07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अद्यतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अद्यतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0म0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

गोपी कृष्ण यादव पुत्र कृष्ण कुमार सिंह यादव

अनुक्रमांक-143358349

पता-ग्राम गनेशपुर पोस्ट सिंहामऊ थाना इटौंजा तहसील बख्शी का तालाब

जिला- लखनऊ-226203

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 01-07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जायें तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0म0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

सत्यम सिंह पुत्र प्रणवीर सिंह

अनुक्रमांक-143361693

पता-म0नं0-643म/550श्री नगर मोहिबुल्लापुर थाना मड़ियोव

जिला- लखनऊ-226021

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक (प्रशिक्षण)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 01-07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

अतुल तिवारी पुत्र वेद प्रकाश तिवारी

अनुक्रमांक-249396772

पता-टाइप-11-119 आकांक्षा परिसर, सेक्टर-एफ जानकीपुरम थाना जानकीपुरम

जिला- लखनऊ-226021

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक, प्रशिक्षण
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 01-07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

संदीप सिंह पुत्र रामराज सिंह

अनुक्रमांक-243362018

पता-पवनपुरी गली नं0-1 देवी खेड़ा रिंग रोड निकट सैनिक कल्याण निगम,थाना आशियाना

जिला- लखनऊ-226002

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 01-07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0म0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

धर्मेन्द्र कुमार पुत्र राम नारायण
अनुक्रमांक-149394843
पता-ग्राम व पोस्ट सतांव थाना गुरुवक्सगंज
जिला- रायबरेली-229122

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक (प्रशिक्षण)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 01-07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली सलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगम प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

सलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

मृत्युंजय सिंह पुत्र रामनयन सिंह

अनुक्रमांक- 175533464

निवासी- ग्राम -इदिलपुर पोस्ट- पुनर्जी थाना- जहानागंज

जनपद- आजमगढ़- 276131

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

अभिषेक यादव पुत्र रामभवन यादव

अनुक्रमांक- 233254669

निवासी- ग्राम -खूटा पोस्ट- बहोखा तहसील- बेल्थरारोड थाना- भीमपुरा

जनपद- बलिया- 271716

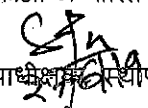
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।


पुलिस उपाधीक्षक/स्थायी पना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बलिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

मनीष कुमार गिरि पुत्र गोवर्धन गिरि

अनुक्रमांक- 133262651

निवासी- ग्राम व पोस्ट- कारो थाना- चितवाडा गाव

जनपद- बलिया- 221713

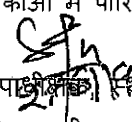
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।


पुलिस उपनिरीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बलिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

मुकेश कुमार मोर्य पुत्र परशुराम

अनुक्रमांक- 333261971

निवासी- ग्राम व पोस्ट- करमानपुर थाना व तहसील- बैरिया

जनपद- बलिया- 277208

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात् बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।


पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बलिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

सौरभ पाण्डेय पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय

अनुक्रमांक- 203080602

निवासी- शालीग्राम भवन म0नं084 मो0- सुदहटी पो- अयोध्या थाना- रामजन्मभूमि

जनपद- अयोध्या- 224123

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

दीपक कुमार सिंह पुत्र श्री प्रेमपाल सिंह

अनुक्रमांक- 349397686

निवासी- ग्राम-दियानतनगर पोस्ट-सराय प्रसन्डा थाना- सतरिख

जनपद- बाराबंकी- 225122

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक, प्रशासना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

आनन्द वर्मा पुत्र श्री प्रमोद वर्मा

अनुक्रमांक- 303073105

निवासी- ग्राम- दानपुरवा पोस्ट- रुहेरा थाना- मोहम्मदपुर खाला

जनपद- बाराबंकी- 225304

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में

कुँवर गौरव सिंह पुत्र बलराम सिंह

अनुक्रमांक- 299442042

निवासी- राणा नगर कादीपुर वार्ड नं0-9, सुल्तानपुर थाना- कादीपुर

जनपद- सुल्तानपुर- 228145

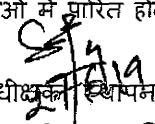
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।


पुलिस उपाधीक्षक (स्थानमा)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

उमाकान्त यादव पुत्र रामनिधि यादव

अनुक्रमांक- 2494455591

निवासी- ग्राम- चादपुर पो0- द्वारिकागंज थाना- गोसाईगंज

जनपद- सुल्तानपुर- 228125

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक, संस्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

विपिन कुमार वर्मा पुत्र स्व. राकेश कुमार वर्मा

अनुक्रमांक- 233282888

निवासी- ग्राम- भूपतिपुर मसौधा पोस्ट- मोतीनगर थाना- पूराकलन्दर

जनपद- अयोध्या - 224201

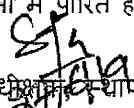
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / ₹ 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः ₹ 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।


पुलिस उपाधीक्षक/सहायक नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पाँच-111(30नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

सुशील कुमार पुत्र राजाराम पाल

अनुक्रमांक- 303073113

निवासी- ग्राम व पोस्ट- बरौली मलिक, थाना-जैदपुर तहसील- नवाबगंज

जनपद- बाराबंकी- 225121

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर दक्षिण करार तथा नोटरी से सत्यापित करार कर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

अभिषेक कुमार मिश्रा पुत्र मुकेश कुमार मिश्रा

अनुक्रमांक- 175510274

निवासी- म0नं0- 120/19 सी /6 वी भोला का पुरवा सुलेमसराय थाना- धूमनगंज

जनपद- प्रयागराज- 211011

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर दक्षिण करार तथा नोटरी से सत्यापित करार शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक संस्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

सेवा में,

मनीष कुमार पुत्र इन्दल कुमार

अनुक्रमांक- 103085252

निवासी- ग्राम- दीवान का पुरवा मजरा अस्ता पोस्ट- भरसवा थाना- मलवा

जनपद- फतेहपुर- 212664

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में दिनांक 01.07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।


पुलिस उपाधीक्षक/स्थायी
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉव-III (उ0नि0ना0पु0सी0म0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

कल्याण पुत्र वीरेन्द्र सिंह

अनुक्रमांक-249435936

पता-ग्राम व पोस्ट भेथरा माधव थाना महमूदाबाद तहसील महमूदाबाद

जिला- सीतापुर-261203

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/55/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थपना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 01-07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0म0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

नितिन कुमार यादव पुत्र विलेश कुमार यादव

अनुक्रमांक-101016648

पता-मं0नं0 173, ज्ञान दीप स्कूल के पास शान्ती नगर खेडा मुहल्ला, नगर व तहसील व थाना शिक्रोहाबाद

जिला- फिरोजाबाद-2831351

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम भा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01-07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

नवनीत यादव पुत्र अवधेश कुमार

अनुक्रमांक-301014735

पता-ग्राम हिम्मतपुर पो0-घाघऊ तहसीस शिकोहाबाद थाना- मक्खनपुर आशिक,

जिला- फिरोजाबाद-205141

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपनिरीक्षक, सत्यापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01-07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0म0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

धीरेन्द्र सिंह पुत्र जगपत सिंह वर्मा

अनुक्रमांक-275509630

पता- 7/581/16-बी, विकास नगर थाना-विकास नगर

जिला- लखनऊ-226022

विषय: उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 01-07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

अशोक दीक्षित पुत्र विनोद दीक्षित

अनुक्रमांक-243332992

पता- म0नं0529/630 पंचवटी कालोनी, रहीम नगर थाना महानगर, नगर तहसील सदर

जिला- लखनऊ-226006

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक (अभिलेख)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 01-07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

मधुरेश त्रिवेदी पुत्र राज किशोर त्रिवेदी

अनुक्रमांक-243357608

पता-म0नं0 610/41 केशव नगर सीतापुर रोड, थाना-मडियॉव

जिला- लखनऊ-226020

विषय- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक, प्रशिक्षण
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 01-07.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0भा0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

अतेन्द्र कुमार पुत्र मोहर सिंह

अनुक्रमांक-301017288

पता-ग्राम कपावली पोस्ट नैपई थाना नारखी

जिला- फिरोजाबाद-283203

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07-2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक (स्थपना)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01-07-2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

भूपेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र पाल

अनुक्रमांक-301014762

पता-ग्राम लतीफपुर पोस्ट कोटला तहसील फिरोजाबाद थाना नारखी

जिला- फिरोजाबाद-283206

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07-2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक/ अधीक्षक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01-07-2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0म0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

विष्णु यादव पुत्र अमर सिंह यादव

अनुक्रमांक-101019317

पता-ग्राम जैन नगर खेडा भाई की चक्की थाना उत्तर डाकखाना सुहागनगर

जिला- फिरोजाबाद-283203

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07-2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं से पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक (प्रशिक्षण)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01-07-2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अद्येतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अद्येतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

मो0 तारिफ खान पुत्र मो0 आसिफ खान

अनुक्रमांक-201016542

पता-ग्राम 394 मो0 लाला की सराय, पड़ाव थाना शिकोहाबाद

जिला- फिरोजाबाद-283135

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07-2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेंस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक संस्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01-07-2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0म0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

दिलीप कुमार पुत्र बिजेन्द्र सिंह

अनुक्रमांक-301015642

पता- ग्राम-कृष्णा नगर बाई पास रोड शिकोहाबाद थाना व तहसील शिकोहाबाद

जिला- फिरोजाबाद -205135

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07-2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01-07-2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0म0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

राधा किशन पुत्र राजवीर सिंह

अनुक्रमांक-201017968

पता-ग्राम खामिनी पोस्ट पादम तह0-व थाना -जसराना

जिला- फिरोजाबाद-283130

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07-2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपनिरीक्षक/सहायक नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01-07-2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

उमाकान्त पुत्र नरेश चन्द्र

अनुक्रमांक-201018625

पता-ग्राम पिन्डसरा पो0- भारौल, ब्लाक अरौव थाना सिरसागंज

जिला- फिरोजाबाद-205151

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07-2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक/अधीक्षक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01-07-2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पौच-III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

सूरज पाल पुत्र जगदीश प्रसाद

अनुक्रमांक-202062333

पता- ग्राम-जैगारा पोस्ट जैगारा थाना कागारौल तहसील किरावली

जिला- आगरा-283122

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07-2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक/प्रशिक्षण
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01-07-2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज ।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

शाहिल शर्मा पुत्र एच0एस0शर्मा

अनुक्रमांक-302062698

पता- 501 परिश्रमपुरी दहतोरा सिकन्दरा थाना- सिकन्दरा

जिला- आगरा-283105

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07-2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टिकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/55/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

पुलिस उपाधीक्षक (सहायक)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01-07-2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0म0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

शशि भूषण शर्मा पुत्र बृज भूषण शर्मा
अनुक्रमांक-202062220
पता- ग्राम-सौरा पो0-सैंया थाना सैंया
जिला- आगरा-283124

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07-2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक (प्रशिक्षण)
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01-07-2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0म0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

विमल कुमार पुत्र रामसेवक

अनुक्रमांक-301020863

पता- मोहल्ला यशोदा नगर छेकुर रोड शिकोहाबाद पोस्ट रेलवे स्टेशन शिकोहाबाद तहसील शिकोहाबाद थाना शिकोहाबाद

जिला- फिरोजाबाद -283141

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07-2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सार्यकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक, पत्रावली
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्यालय
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01-07-2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0म0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

दयानन्द झा पुत्र तुलसीदास

अनुक्रमांक-101020127

पता- 113, शकरपुरी, शिकोहाबाद पोस्ट शिकोहाबाद थाना कोतवाली शिकोहाबाद

जिला- फिरोजाबाद -283135

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07-2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक/सहायक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01-07-2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)/2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

सुबोध यादव पुत्र राजिन्दर सिंह यादव

अनुक्रमांक-101017517

पता- 58, गणेश नगर टूण्डला थाना टूण्डला

जिला- फिरोजाबाद -283204

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07-2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक, प्रशिक्षण
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01-07-2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

दिगम्बर सिंह पुत्र मान सिंह

अनुक्रमांक-202058635

पता- ग्राम-व पोस्ट -व- थाना-कागारौल तहसील खैरागढ़

जिला- आगरा-283119

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07-2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टिकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01-07-2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच-III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक-जून 2019

सेवा में,

ललित प्रताप सिंह पुत्र प्रेमपाल

अनुक्रमंक-253474033

पता- म0न0- 402, सेक्टर-5, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा थाना जगदीशपुरा

जिला- आगरा-282007

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019/ दिनांक 22.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 01-07-2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पुलिस उपाधीक्षक/स्थापना
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 01-07-2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान कर लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)